

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

दिनांक 17-11-2022

क्रमांक: सहायता/सड/2022/2207

प्रशासनिक स्वीकृति

मान्यता वर्ष 2022 में बाढ़ से अधिशायी अभियन्ता सा0नि0वि0 जिलाखण्ड सांगोद की तहसील सांगोद क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 575 दिनांक 28.08.2022 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एक-8(12) आ.प्र. एवं सडा./प्रस्ताव/बाढ़/2022/12762-770 जयपुर दिनांक 10.11.2022 के क्रम में अभिशाली अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिलाखण्ड सांगोद तहसील सांगोद क्षेत्र की क्षतिग्रस्त 73 सड़क राशि रु0 108.23 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि(SIDRI) से कटने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेंसी - अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिलाखण्ड सांगोद

तहसील :- सांगोद

क्र.सं.	रोड का नाम मय लोकेशन	क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन	रोड की लम्बाई (किमी में)	SDRF मापदण्डों के अनुसार दर (राशि प्रति किमी)	एस.डी.आर एफ. मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में।
1	2	3	4	5	6
1	सीसवाली अन्ता सांगोद रोड	47/750 to 52/750	5.00	1.00	5.00
2	दिनोदखुर्द-विनोदकलां- कुरहिया खुर्द-डावरी खुर्द-आजादपुरा -मानोर -रालोनियां- लोडाहेडा रोड कि.मी. 2/0 से 9/500	3/0 to 9/500	6.50	1.00	6.50
3	कोटा कैथून राजपुरा जड़ता किमी 23/0 से 30/500	23/0 to 30/500	7.50	1.00	7.50
4	सम्पर्क सड़क पालकिया	0/0 to 2/00	2.00	0.60	1.20
5	सम्पर्क सड़क लटूरी	0/0 to 0/500	0.50	0.60	0.30
6	सम्पर्क सड़क लवागिया	0/0 to 0/500	0.50	0.60	0.30
7	सम्पर्क सड़क बेरीनाकली	0/0 to 1/0	1.00	0.60	0.60
8	सम्पर्क सड़क से अमृतकुआ	0/0 to 0/300	0.30	0.60	0.18
9	सम्पर्क सड़क हिमी	0/0 to 1/0	1.00	0.60	0.60
10	सम्पर्क सड़क धुनपुर	0/0 to 0/750	0.75	0.60	0.45
11	सम्पर्क सड़क मण्डीला	0/0 to 2/0	2.00	0.60	1.20
12	सम्पर्क सड़क खडिया	0/0 to 4/0	4.00	0.60	2.40
13	सम्पर्क कंगोलर डावरी कली	0/0 to 5/300	5.30	0.60	3.18
14	सम्पर्क सड़क मूलाहेडा	0/0 to 1/0	1.00	0.60	0.60
15	सम्पर्क सड़क चतरपुरा	0/0 to 2/400	2.40	0.60	1.44
16	सम्पर्क सड़क मूलाहेडा	0/0 to 4/0	4.00	0.60	2.40
17	कंगोलर से लसेडिया कली	0/0 to 2/620	2.62	0.60	1.57
18	मोईकला से सालरपीर	0/0 to 4/0	4.00	0.60	2.40
19	सम्पर्क सड़क जमरदा	0/0 to 4/300	4.30	0.60	2.58
20	सम्पर्क सड़क दीगोद	0/0 to 1/0	1.00	0.60	0.60
21	अमृतकुआ खजुरी से दामुलिया जमीर	0/0 to 0/510	0.51	0.60	0.31
22	कंगोलिया राजगढ रोड से रोलाना	0/0 to 0/550	0.55	0.60	0.33

23	सम्पर्क सड़क कुराडिया कलां	0/0 to 1/500	1.50	0.60	0.90
24	सम्पर्क सड़क जोगरा	0/0 to 1/200	1.20	0.60	0.72
25	सम्पर्क सड़क रोसलिया	0/0 to 1/300	1.30	0.60	0.78
26	बोरीनाकला से बैरासर	0/0 to 2/170	2.17	0.60	1.30
27	सम्पर्क सड़क अतरालिया	0/0 to 1/930	1.93	0.60	1.16
28	देगनिया आमली (मकहाबद का नाम बदल कर आमली)	0/0 to 2/200	2.20	0.60	1.32
29	दीगोद से डोहडी	0/0 to 3/600	3.60	0.60	2.16
30	खजुरी से आंवपुर	0/0 to 1/200	1.20	0.60	0.72
31	कामनिया से सुंदरिया	0/0 to 3/00	3.00	0.60	1.80
32	सांगोद से श्यामपुरा	0/0 to 2/50	2.50	0.60	1.50
33	सम्पर्क सड़क दिकोली से खडीपुर वाया मालीयों का मोहल्ला	0/0 to 2/60	2.60	0.60	1.56
34	लेहरोली से घटाल	0/0 to 3/00	3.00	0.60	1.80
35	एसएच-51 से कोटरा	0/0 to 2/0	2.00	0.60	1.20
36	मोजपुर चावड़ा माताजी मोईकला तालारपीर	0/0 to 3/00	3.00	0.60	1.80
37	उमरदा से अरनियां	0/0 to 2/10	2.10	0.60	1.26
38	घाटोलिया से किशनपुरा	0/0 to 0/500	0.50	0.60	0.30
39	अमृतकुर्छों से खजुरी	0/0 to 1/400	1.40	0.60	0.84
40	भूलाहेडी से बरखेडी	0/0 to 1/500	1.50	0.60	0.90
41	सम्पर्क सड़क आलोदिया	0/0 to 1/500	1.50	0.60	0.90
42	मोईखुर्द से बागडरया	0/0 to 2/200	2.20	0.60	1.32
43	मालीहेडा बैसक से बम्बूलिया कटारिया	0/0 to 2/800	2.80	0.60	1.68
44	एस एच. 51 से हनुमन्तखेडा	0/0 to 0/300	0.30	0.60	0.18
45	उमरदा अरनियां रोड किमी 1 से रेलवेद	0/0 to 2/900	2.90	0.60	1.74
46	बोरीनाकला से बोरीनाखुर्द	0/0 to 1/00	1.00	0.60	0.60
47	सांगोद से रक्सपुरिया	0/0 to 4/150	4.15	0.60	2.49
48	अमृतकुर्छों से किशनपुरा	0/0 to 3/20	3.20	0.60	1.92
49	मेलखेडी से लालाहेडा	0/0 to 3/20	3.20	0.60	1.92
50	रामपुर की झोपडिया से मंडाप	0/0 to 3/50	3.50	0.60	2.10
51	मण्डीता से घालडिया	0/0 to 2/800	2.80	0.60	1.68
52	एस. एच.-51 किमी-81 से दोरानी	0/0 to 1/580	1.58	0.60	0.95
53	कोटडी से विजयपुर	0/0 to 4/300	4.30	0.60	2.58
54	कुराडियाखुर्द से डोडिया	0/0 to 2/450	2.45	0.60	1.47
55	सम्पर्क सड़क तरकिया	0/0 to 1/300	1.30	0.60	0.78
56	कोटडी विजयपुर रोड से कुदैत	0/0 to 2/150	2.15	0.60	1.29
57	लबानियां घरेल रोड से बरां	0/0 to 1/900	1.90	0.60	1.14
58	श्यामपुरा से रामपुरिया की झोपडिया	0/0 to 6/600	6.60	0.60	3.96
59	एस. एच.-51 से सनखेडा	0/0 to 2/00	2.00	0.60	1.20
60	रेलावद से धांसखेडा	0/0 to 2/850	2.85	0.60	1.71
61	सम्पर्क सड़क धीमली	0/0 to 2/500	2.50	0.60	1.50

	भुनपुर से करिरिया	0/0 to 1/600	1.60	0.60	0.96
63	मोईखुंद से गाढरवाडा	0/0 to 1/400	1.40	0.60	0.84
64	नाहरिया देगनिया रोड से खेहलीखोदा	0/0 to 0/550	0.55	0.60	0.33
65	ऊजुरी अमृतकुआ रोड से बरखेडी	0/0 to 1/500	1.50	0.60	0.90
66	राजगढ गुडला वाया रामगढ खेहली गुडला	0/0 to 4/600	4.60	0.60	2.76
67	खेहली से डोयडा	0/0 to 1/200	1.20	0.60	0.72
68	भिसिंग लिक करिरिया से घटाल	0/0 to 3/00	3.00	0.60	1.80
69	बांगरवा से बांगडसी	0/0 to 1/250	1.25	0.60	0.75
70	सम्पर्क सडक से गुहावदा रोड	0/0 to 1/200	1.20	0.60	0.72
71	गायत्री चौराहा टू बीई.ओ. ऑफिस एंड फायर ऑफिस बेल साइट टू जालपा रोड	0/0 to 1/400	1.40	0.60	0.84
72	भिसिंग लिक सुण्डकिया से बाधरा	0/0 to 1/800	1.80	0.60	1.08
73	इयामपुरा से मालमाछलिया रोड	0/0 to 1/290	1.29	0.60	0.77
	योग		169.39		109.23

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत केवल उन्हीं सडकों की की जावे, जिन सडकों की क्षति बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ से हुई है जिससे सामान्य जन जीवन को बाधित होने से सडकों की तात्कालिक मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है।
2. उक्त कार्य को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशांका की है।
3. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
4. विभाग द्वारा Per Km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉम्स अनुसार किया है अतः सापेक्षविभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सडकों की मरम्मत पर न करें।
5. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
6. प्रस्तावों में उन्हीं सडकों की मरम्मत करवाया जावे जो पेवमेंट द्वारा ठीक करायी जा सकती है।
7. ये सडकों जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
8. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
9. कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में धित प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
10. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करने कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
11. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नॉम्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य अथवा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 6182 दिनांक 08.09.2019 द्वारा मंजूर की जावे।
12. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
13. राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु राशि लगी स्वीकृत की जावे, जब यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि श्रुतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट तालिका नहीं है।
14. स्वीकृति में वर्णित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्य को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
15. क्षतिग्रस्त कार्य को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
16. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सडक के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेसन को ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।

अधिकारी तथा उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मानदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही किया गया है। सभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

18. शक्ति का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिश. निर्देशों के अनुसार किया जावे।

19. प्रस्तावों में दर्शाई गई वर्षों की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवसा जावे। शक्ति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

जिला कलक्टर,
कोटा

दिनांक 17-11-2022

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2022/2267

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. अति. मुख्य अभियन्ता सा0नि0वि0 सम्भाग कोटा।
4. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 वृत्त कोटा।
5. उपखण्ड अधिकारी सांगोद।
6. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 सर्व एवं गुण नियंत्रण खण्ड कोटा।
7. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 जिलाखण्ड सांगोद।

अति० जिला कलक्टर,
कोटा